

संख्या : पर (एफी- ।।) एफ(4)-12/87-VI

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०- ।।)

दिनांक शिमला-171 002

7 दिसम्बर, 2006

कार्यालय आदेश

विषय:

जन-जातीय क्षेत्रों एवं कठिन क्षेत्रों में अवकाश पर जाने की अवस्था में अतिरिक्त यात्रा दिवसों की सुविधा देने वारे ।

नहोदय:

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय आदेश सं० कार्मिक (नि०- ।।) एफ (4)-12/87-भा० दिनांक 7-7-1993 य 15-३-1996 का क्रम जारी रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय आदेशों के अन्तर्गत जन-जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनान अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त यात्रा दिवसों की सुविधा वर्ष ने केवल एक बार अर्जित अवकाश, अर्ध-वेतन अवकाश, असाधारण अवकाश तथा आकारिक अवकाश देय है परन्तु उक्त आदेशों के अनुलय हैलीकॉपटर में यात्रा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, इस सुविधा का कोई लिंक नहीं था । अब सरकार ने पूर्ण विवार उपरान्त एवं जन-जातीय विकास य वित्त विभाग की सलाह से यह निर्णय लिया है कि जन-जातीय/ दुर्गम/ कठिन क्षेत्रों में कार्यशत अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवकाश के दौरान हैलीकॉपटर से यात्रा करने पर भी अतिरिक्त जॉर्डनिंग टाईन की सुविधा देय होगी ।

१. उक्त यत्रों ने दर्शाई गई बाकी शर्त समान पहेंगी ।
२. उपरोक्त आदेश इस पत्र के जारी होने की तिथि से लागू होगे ।
३. यह निर्णय सत्यनिर्धा के ध्यान में लाया जाये तथा इसका पालन किया जाये ।

भवदीद,

सचिव (कार्मिक) /
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृ०स० कार्मिक (नि०- ।।) एफ(4)12/87-VI दिनांक

7 दिसम्बर, 2006

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
२. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
३. समस्त अप्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
४. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
५. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, समस्त लोर्ड/निगम, हिमाचल प्रदेश ।
६. पंजीयक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला/कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर तथा उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलां हिमाचल प्रदेश ।
७. निदेशक, संस्थागत (वित्त), हिमाचल प्रदेश ।
८. तकनीकी निदेशक, शास्त्रीय सूचना केन्द्र, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-२ ।

SSA(ss)

11/12/06

दस्तावेज़

NICHP State Unit Shimla

Print No. 9200

सचिव (कार्मिक) /
हिमाचल प्रदेश सरकार ।